कार्यालय जनपद न्यायालय, एटा

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय एटा में कम्प्यूटर विभाग में उपलब्ध 100 नग खाली HP Laser Jet 152A Original Cartridges को Refill कराया जाना है।

अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म जो उक्त खाली Cartridges को Refill करने के इच्छुक हो वह अपनी–अपनी कुटेशन केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, एटा में दिनांक 17.10.2025 से दिनांक 27.10.2025 तक प्रस्तुत कर सकते है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त कुटेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कुटेशन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारार माननीय जनपद न्यायाधीश, एटा को होगा।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त खाली Cartridges को Refill करने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को कुटेशन के साथ यह शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि Cartridges मे भरी जाने वाली इंक मूल (Original) है एवं कागज पर मुद्रण (Print) करने के बाद फीकी (Fade) नहीं होगी।

16/10/25

अध्यक्षा
कय समिति,
जनपद न्यायालय, एटा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित नोटिस बोर्डो पर चस्पा करने हेतु :–

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायालय, एटा।
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, एटा।
3. नोटिस बोर्ड जिला परिषद एटा।
4. नोटिस बोर्ड नगर पालिका, एटा।
5. नोटिस बोर्ड विकास भवन एटा।
6. नोटिस बोर्ड बस स्टैण्ड एटा।
7. जनपद न्यायालय, एटा की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हुते।